वाद पत्र प्र.सं. 57/2019 अन्तर्गत 136 एलआरए
शमशेर सिंह बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
04.01.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पर सीधे बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से चक 19 आर बी का मु.नं. 04 प.नं. 215/245 के 1.012 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 08 का 1.152 है. नहरी मय खाला व मु.न. 25 में 0.380है. व मु.न. 37 में 3.162है. बारानी , मु.न. 45 में 1.265 है. नहरी मय खाला कुल 6.971है. नहरी /बारानी मय खाला में 1/5 हिस्सा दर्ज है, उक्त भूमि प्रार्थी को विरास्तन आई है, विरास्तन इन्तकाल करते समय सहवन से प्रार्थी का नाम शमशेर सिहं के स्थान पर शेर सिहं दर्ज हो गया । प्रार्थी के जरिये बैयनामा दिनांक 26.5.1998 को कृषि भूमि खरीद की थी, जिसमें प्रार्थी का नाम शमशेर सिहं पुत्र मघर सिहं सही नाम दर्ज है। प्रार्थी के शेष दस्तावेज राशनकार्ड, आधार कार्ड ,भामाशाह कार्ड, परिचय पत्र आदि में सही नाम शमशेर सिहं दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड में लेखन त्रृटि के कारण शमशेर सिहं के स्थान पर शेर सिहं दर्ज हो गया है। उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम शेरसिहं के स्थान पर शमशेरसिहं दर्ज करने आदेश फरमाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज राशनकार्ड सं. 200003095927, आधारकार्ड सं. 207545176359, भामाशाह, पहचान पत्र चुनाव, बैयनामा दिनांक 26.5.1998 में प्रार्थी का नाम शमशेर सिहं दर्ज है। तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ. /20/2867 दिनांक 29.10.2020 अनुसार प्रार्थी शमशेर सिहं व शेर सिहं दोनों एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी का नाम शमशेर सिहं उर्फ शेरसिहं किया जाने की अनुशाषां की जाती है। अतः तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायसंगत हैं। लिहाजा उक्त विवेचन एवं तहसीलदार रायसिंहनगर की अभिशंषा दिनांक 29.10.2020 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड चक 19 आर बी का मु.नं. 04 प.नं. 215/245 के 1.012 है. नहरी मय खाला व मु.नं. 08 का 1.152 है. नहरी मय खाला व मु.न. 25 में 0.380है. व मु.न. 37 में 3.162है. बारानी ,मु.न. 45 में 1.265 है. नहरी मय खाला कुल 6.971है. नहरी /बारानी मय खाला में 1/5 [illegible], भूमि में शेर सिंह के स्थान पर शमशेर सिहं [illegible] शेर सिहं की दुरूस्ती किये जाने के आदेश [illegible] शेष [illegible] रहेगा। चूंकि राजस्व रिकार्ड [illegible] बैंक [illegible] रहन दर्ज हैं। अतः रहन मुक्त होने पर आदेश की पालना [illegible] निश्चित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अर्पिता सोनी) उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.01.14 16:00:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner